न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 107/2023 (94/2013)

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
श्रीमती काली देवी पत्नी बुद्धाराम विश्नोई, निवासी– फूलण, तहसील सिवाणा, जिला बालोतरा।		1. सुन्दर देवी पुत्री प्रतापनाथ 2. मकादेवी पुत्री प्रतापनाथ 3. हीरानाथ पुत्र स्व. खीमनाथ नाबालिग जरिये प्राकृति संरक्षिका माता श्रीमती सायरदेवी पत्नी स्व. खीमनाथ 4. रमेशनाथ पुत्र स्व. खीमनाथ 5. शांतीनाथ पुत्र स्व. खीमनाथ 6. सायरदेवी पत्नी स्व. खीमनाथ 7. भंवरनाथ पुत्र प्रतापनाथ 8. गैननाथ पुत्र प्रतापनाथ जातियान– स्वामी, निवासीगण– बिजलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा। 9. सरपंच, ग्राम पंचायत देवन्दी 10. सरपंच, ग्राम पंचायत अर्जियाना 11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.2013 जो उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा राजस्व अपील संख्या 04/2012 अनवान सुन्दरदेवी वगैराह बनाम हीरानाथ वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सिद्धार्थ परिहार,, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0संख्या 11 की ओर से।
4. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 18 जून, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत पेश कर निवेदन किया था कि ग्राम बिजलिया में ख0सं0 265/2 रकबा 07 बीघा तथा ख0सं0 271/28 रकबा 17.12 बीघा भूमि प्रतापनाथ खातेदारी की आई हुई है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्व0 प्रतापनाथ की पुत्रियॉ है। प्रतापनाथ के पुत्र खीमनाथ के वारिसान के रूप में हीरानाथ, रमेशनाथ, शान्तीनाथ, सायरीदेवी है तथा भंवरनाथ व गैननाथ प्रतापनाथ के पुत्र है। उक्त भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि है। जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का जन्म से ही 1/5 हिस्सा आता है। खातेदार प्रतापनाथ के देहान्त होने पर भरे गये फौतेदगी नामा0 संख्या 47 दिनांक 22.06.1974 में अन्य वारिसान के साथ उनका नाम भी दर्ज होना चाहिये था, परन्तु उक्त भूमि में प्रतापनाथ के तीनों पुत्रों का नाम दर्ज कर दिया गया जो निरस्त किया जावे साथ ही वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट सुन्दरदेवी को बेचान कर दिये जाने के फलस्वरूप स्वीकृत नामा0 संख्या 561 दिनांक 30.03.2012 को भी निरस्त किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2013 के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 47 व 561 को निरस्त करते हुए उक्त वादग्रस्त खसरान भूमि में भंवरनाथ पुत्र प्रतापनाथ का 1/5 हिस्सा, गैननाथ पुत्र प्रतापनाथ का 1/5 हिस्सा, सुन्दरदेवी पुत्री प्रतापनाथ का 1/5 हिस्सा, मकादेवी पुत्री प्रतापनाथ का 1/5 हिस्सा तथा अपीलान्ट कालीदेवी पत्नी बुद्धाराम का 1/5 हिस्सा दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.07.2013 को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 47 दिनांक 22.06.1094 को ग्राम पंचायत देवन्दी ने स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्ध रेस्पो0संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपील दिनांक 8.6.2012 को लगभग 39 वर्ष पश्चात पेश की। उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में उनकी ओर से धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन नामा0 की जानकारी 30.3.2012 को हो जाने का अंकन किया उसके बावजूद भी प्रथम अपील दिनांक 29.4.2012 की 30 दिवस की अवधि में पेश नहीं कर दिनांक 8.6.2012 को पेश की गई जो भी जानकारी होने के 39 दिन से देरी से पेश की, उक्त बीच की अवधि का भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया उसके उपरान्त भी उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.6.2013 के द्वारा मियाद का समय बढाने का आदेश दे दिया तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार कर ली गई। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अपने पिता प्रतापनाथ के देहान्त की जानकारी प्रारम्भ से थी, इस कारण

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भी प्रथम अपील देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं था। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, अभिलेख पर आये साक्ष्य तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है क्योंकि बिना सुनवाई के एकतरफा तथा बिना क्षेत्राधिकार के आदेश के विरूद्ध मियाद जानकारी लागू होने का अनिवार्य प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मियाद अवधि को बढाये जाने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि से कोई लेना–देना नहीं है क्योंकि वे अपने ससुराल में रहती है तथा अपीलान्ट को बेचानकर्ता से भूमि खरीद किये 30 वर्ष भी अधिक समय हो गया है एवं वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज रहे है और उक्त भूमि सद्भाविक रूप से बडी रकम चुका कर खरीद किया गया है, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 उसको हडप करने व अपीलार्थीया को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रथम अपील पेश की थी जो पूर्ण रूप से मियाद बाहर थी, भूमि की कीमतें बढ जाने से बेचानकर्ता तथा अन्य पक्षों ने मिल कर अपील पेश कर दी गई। जो आधारहीन होने से निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को विवादित भूमि पर अपना हक–अधिकार चाहती है तो उनको नियमित वाद प्रस्तुत करते हुए तय करवाने थें तथा बेचान की गई भूमि के अलावा बची भूमि में से उनके हक–हिस्से में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति लेनी चाहिये थी जिससे नये विवाद भी पैदा नहीं होता और शांतीपूर्ण हल निकल जाता। अपीलार्थीया के द्वारा उक्त खसरान भूमि से खीमनाथ के वारिसान के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की गई थी जिसके आधार पर नामा0 संख्या 561 स्वीकृत किया गया था, ऐसे में जब तक उल्लेखित पंजीबद्ध विक्रय विलेख को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक वह प्रभाव में रहेगा और उसके पश्चात स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 561 को किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उक्त दोनों नामान्तरकरणों के विरूद्ध एक ही अपील पेश कर दी थी जबकि एक नामा0 के विरूद्ध एक एक अलग अपील दायर की जानी चाहिये थी ऐसे में प्रथम अपील कानूनी रूप से ग्राहय करने व सुनवाई योग्य नहीं थी और न ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ऐसा अपीलाधीन आदेश उक्त नामा0 के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से निरस्त करते हुए पारित किया जा सकता था।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार के अलग–अलग हिस्से दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो भी विधि विरूद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त विरासत के नामा0 में किसी भी प्रकार की भौतिक कब्जे की जॉच किया जाना आवश्यक नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया तथा बाले–बाले अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2013 को निरस्त किया जावे एवं नामा0 संख्या 47 व उसके पश्चातवर्ती नामा0 संख्या 561 को बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत पेश की कि ग्राम बिजलिया में ख0सं0 265/2 रकबा 07 बीघा तथा ख0सं0 271/28 रकबा 17.12 बीघा भूमि आई है जो उनकी पुश्तैनी भूमि है। जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का 1/5 हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्व0 प्रतापनाथ की पुत्रियॉ है। प्रतापनाथ के पुत्र खीमनाथ के वारिसान के रूप में हीरानाथ, रमेशनाथ, शान्तीनाथ, सायरीदेवी है तथा भंवरनाथ व गैननाथ प्रतापनाथ के पुत्र है। प्रतापनाथ के देहान्त होने पर उनके फौतेदगी नामा0 संख्य 47 दिनांक 22.06.1974 में प्रतापनाथ के अन्य वारिसान के नाम के साथ उनका नाम भी दर्ज होना चाहिये था, परन्तु उक्त भूमि में प्रतापनाथ के तीनों पुत्रों का नाम दर्ज कर दिया गया जो निरस्त किया जाकर उनका नाम भी प्रतापनाथ के वारिसान के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावें साथ ही वादग्रस्त भूमि में से श्रीमती सुन्दरदेवी को भूमि का बेचान कर दिये जाने के फलस्वरूप उनके पक्ष में स्वीकृत नामा0 संख्या 561 दिनांक 30.03.2012 को भी निरस्त किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर करते हुए वर्तमान अपीलान्ट एवं अन्य पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरान्त प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.06.2013 के द्वारा उक्त नामा0 संख्या 47 व 561 को निरस्त करते हुए उक्त वादग्रस्त खसरान भूमि में भंवरनाथ पुत्र प्रतापनाथ का 1/5 हिस्सा, गेननाथ पुत्र प्रतापनाथ को 1/5 हिस्सा, सुन्दरदेवी पुत्री प्रतापनाथ का 1/5 हिस्सा,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मकादेवी पुत्री प्रतापनाथ का 1/5 हिस्सा तथा अपीलान्ट कालीदेवी पत्नी बुद्धाराम का 1/5 हिस्सा दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रतापनाथ के देहान्त पर उनके वारिसान के नाम नामा0 में दर्ज करने चाहिये थे परन्तु नामा0 में उनके तीनों पुत्रो के नाम दर्ज कर दिया गया, इस बाबत ग्राम पंचायत के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया और फौतदगी नामा0 में सम्पूर्ण वारिसन के हक–हिस्से को छिपाते हुए नामा0 स्वीकृत कर दिया गया जो खारिज योग्य था। उक्त नामा0 की जानकारी रेस्पोडेन्टस को तब हुई जब अपीलान्ट कालीदेवी देवी ने मौके पर आकर धमकी दी कि उक्त भूमि का 1/3 हिस्सा प्रतापनाथ के पुत्र खीमनाथ के नाम दर्ज हो रखा है एवं उक्त भूमि को खीमनाथ के वारिसान के द्वारा उनको जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के बेच दी गई है जिसके आधार पर नामा0 संख्या 561 उनके पक्ष में स्वीकृत किया जा चुका है तब दिनांक 20.03.2012 को उक्त प्रकार के राजस्व रेकर्ड में हुए इन्द्राजों की जानकारी हुई। तब उनके द्वारा दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करते हुए अपील पेश की गई थी, ऐसे में उल्लेखित प्रतापनाथ के स्वीकृत किये गये फौतदगी नामा0 प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन होने से निरस्त करने योग्य रहा था। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 561 से बदली गई खतौनी सम्वत 2066 वे 2069 में हीरानाथ नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सायरा का नाम अंकित है तथा स्कूल रजिस्टर में अंकित जन्म तिथी दिनांक 15.12.1994 है और वादग्रस्त भूमि का बेचान हीरानाथ के द्वारा किया जाना नामा0 में अंकित है, इस प्रकार तत्समय में नाबालिग हीराराथ के द्वारा न तो भूमि का बेचान किया जा सकता था और न ही नाबालिग के द्वारा हस्तान्तरण दस्तावेज के नामा0 भरकर खातेदारी बदली जा सकती थी, ऐसे में उक्त बेचान व नामा0 अवैध व निष्प्रभावी है। प्रतापनाथ के देहान्त होने पर खीमनाथ के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज होना था परन्तु 1/3 हिस्सा गलत तोर पर दर्ज कर दिया गया और उक्त 1/3 हिस्से को गलत तौर से बेचान बख्शीश या हन्तान्तरण करने का किसी भी रूप से कोई अधिकार खीमनाथ के वारिसान को नहीं था और खीमनाथ के वारिसान का तथा बेचान के फलस्वरूप कालीदेवी का दोनों का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने के बावजूद भी पटवारी व भू0अ0निरीक्षक के द्वारा मौके की जॉच किये बिना ही नामा0 दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत से स्वीकृत करवा लिया जो निरस्त योग्य ही था। नामा0 संख्या 561 पर ग्राम पंचायत अर्जियाणा के सरपंच की सील पर हीराराम के हस्ताक्षर है, उक्त नामा0

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पर भूमि परिवर्तन की प्रविष्टिया की गई परन्तु नामा0 स्वीकृत अथवा अस्वीकृत शब्द भी अंकित नहीं है और न ही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का हवाला दिया गया था, ऐसे में ऐसा दस्तावेज अवैध, आधारहीन होने से निरस्त योग्य था।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा इस द्वितीय में मुख्य रूप से कथंन किया है कि नामा0 संख्या 46 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा मियाद बाहर अपील पेश की गई थी जो स्वीकार करने योग्य नहीं थी और नामा0 संख्या 561 अपीलान्ट के पक्ष में वादग्रस्त खसरान की रकबा भूमि को जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के खरीदने के फलस्वरूप स्वीकृत किये गये नामा0 561 को निरस्त नहीं किया जा सकता था जब तक पंजीकृत बेचान दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मृतक खातेदार प्रतापनाथ के देहान्त उपरान्त उनके सभी विधिक वारिसान की जॉच ही नहीं की गई और न ही कब्जा काश्त की जॉच की गंई थी, ग्राम पंचायत के द्वारा भी कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया और रेस्पों0 संख्या 1 व 2 को छोडते हुए शेष वारिसान के नाम नामा0 दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के हक–हिस्से तक प्रभाव शून्य था ऐसे नामा0 के विरूद्ध किसी भी समय जानकारी होने पर अपील दायर की जा सकती थी तथा किसी खातेदार के पक्ष में अधिक दर्ज की गई भूमि का बेचान खातेदार के द्वारा अन्य व्यक्ति को गैर कानूनन कर भी दिया जाता है तो उनके हक–हिस्से से अधिक भूमि को किसी भी समय न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा सकता है, ऐसे में प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए दोनों नामा0 को निरस्त करते हुए मृतक प्रतापनाथ के वारिसान के एवं क्रेता कालीदेवी के मध्य हक–हिस्सा अंकित करते हुए नामा0 स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल उचित है एवं बहाल रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार नहीं की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया जिससें यह पाया कि रेस्पो0 संख्या एक व दो ने प्रथम अपील पेश की जिसमें ग्राम बिजलिया में प्रतापनाथ पुत्र लक्ष्मणनाथ के नाम खातेदारी में ख0सं0 265/2 रकबा 07 बीघा तथा ख0सं0 271/28 रकबा 17.12 बीघा भूमि दर्ज होने एवं प्रतापनाथ के पुत्र भंवरनाथ व गैननाथ, खीमनाथ और रेस्पो0 संख्या 1 व 2 स्व0 प्रतापनाथ की पुत्रियॉ तथा खीमनाथ के वारिसान

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के रूप में हीरानाथ, रमेशनाथ, शान्तीनाथ, सायरीदेवी रही है, खातेदार प्रतापनाथ के देहानत होने के पश्चात उक्त वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से उक्त भूमि में प्रतापनाथ के पुत्रों के साथ–साथ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का जन्म से ही हिस्सा बनता है। अतः नामा0 संख्या 47 को निरस्त किया जाकर उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। साथ ही वादग्रस्त भूमि में से खीमनाथ के पुत्रों द्वारा अपीलार्थीया कालीदेवी को बेचान किये जाने के फलस्वरूप स्वीकृत नामा0 संख्या 561 दिनांक 30.03.2012 को भी निरस्त किया जावें।

खातेदार प्रतापनाथ के देहान्त होने पर प्रतापनाथ के फौतेदगी नामा0 संख्या 47 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पो0 संख्या 1 व 2 प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के कारण प्रतापनाथ के सभी वारिसान का नाम यानि प्रतापनाथ के पुत्रों के साथ उनका नाम भी विरासत नामा0 संख्या 47 में दर्ज में होना चाहिये था, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त भूमि में प्रतापनाथ के केवल पुत्रों का नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है, ऐसे में ग्राम पंचायत के द्वारा नामा0 स्वीकृत करते समय प्रतापनाथ के विधिक सभी वारिसान की न तो जॉच की एवं न ही उन्हें अपना पक्ष रखे जाने का कोई अवसर दिया गया, प्रतीत होता है, ऐसे स्वीकृत किये गये नामा0 को यथावत बहाल नहीं रखा जा सकता, अधीनस्थ न्यायालय उक्त फौतेदगी नामा0 संख्या 47 को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। साथ ही खीमनाथ के वारिसान के द्वारा अपने हक–हिस्से से अधिक भूमि का बेचान अपीलार्थीया कालीदेवी को किया जाना भी नियम विरूद्ध है व बेचान फलस्वरूप स्वीकृत किया गया नामा0 भी निरस्त करने योग्य था। इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपील प्रकरण में न्याय किये जाने की दृष्टि से प्रतापनाथ के सभी वारिसान के प्रत्येक के हक–हिस्से में 1/5 हिस्सा भूमि अनुसार तथा अपीलार्थीया कालीदेवी पत्नी बुद्धाराम का 1/5 हिस्सा दर्ज करते हुए नामा0 स्वीकृत करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है जिसके आधार पर उसमें हस्तक्षेप की गुंजाइश रहती हो।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलार्थीया की अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सिवाना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2013 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज 18 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर